उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–8
संख्या– 782 /पॉच–8–2016–रिट(154)/2015
लखनऊ : दिनांक : 23 फरवरी, 2016

कार्यालय–ज्ञाप

डा0 सी0एच0 पवन प्रताप सिंह वरिष्ठ चिकित्साधिकारी(वरिष्ठता कमांक–11997क) अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा द्वारा यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0, 2015 की काउंसलिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध विभाग के समक्ष किया गया था। डा0 सिंह को इस आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया कि तत्समय उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित थी। डा0 सी0एच0 पवन प्रताप सिंह द्वारा उक्त कोर्स की अनपत्ति दिये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ रिट याचिका संख्या–889(एस0बी0)/2015, डा0 सी0एच0 पवन प्रताप सिंह बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। रिट याचिका की सुनवाई करते हुए मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.07.2015 को याची के सेवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये।

2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ने अपने पत्र संख्या–3फ/ए/141/06/1931, दिनांक 06.10.2015 द्वारा प्रश्नगत वाद के संबंध में डा0 सी0एच0 पवन प्रताप सिंह से पुनः दिनांक 15.05.2009 द्वारा मांगे गये अभ्यावेदन, जॉच रिपोर्ट में दिये गये निष्कर्ष एवं सुझावों से शासन के असहमत होने के कारण दिनांक 20.02.2014 के शासनादेश की प्रति जिसके द्वारा किसी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित रहते हुए उसे पी0जी0 डिप्लोमा में प्रतिभाग/चयन न किये जाने तथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित रहते हुए प्रोन्नति किन परिस्थितियों में कर दी गई, के संबंध में कार्यालय मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ को सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में शासन से मार्ग दर्शन की अपेक्षा की गई।

3– डा0 सी0एच0 पवन प्रताप सिंह अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के लेवल–1 के चिकित्साधिकारियों को लेवल–2 वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 22.07.2014 को आहूत की गई थी उक्त बैठक में 3009 चिकित्साधिकारियों की प्रोन्नति पर चयन समिति द्वारा विचार किया गया, जिसमें डा0 सी0एच0 पवन प्रताप सिह का नाम भी सम्मिलित था। ब्राडसीट में चयन समिति के समक्ष डा0 सी0एच0 पवन प्रताप सिंह के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित होने का तथ्य प्रस्तुत किया गया था। त्रुटिवश डा0 सी0एच0 पवन प्रताप सिंह को लेवल–2 वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के पद पर प्रोन्नति की चयन समिति द्वारा संस्तुति की गई। तदनुसार कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.08.2014 द्वारा अन्य चिकित्साधिकारियों के साथ डा0 सी0एच0 पवन प्रताप सिंह को भी प्रोन्नति प्रदान की गई।

4– डा0 सी0एच0 पवन प्रताप सिंह के विरूद्ध कार्यालय ज्ञाप संख्या–4073/चि–3–08–1648/2008, दिनांक 10.10.2008 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित थी। जॉचोपरान्त लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद की सहमति के उपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या–1339/चि–3–15–1648/2008 टीसी0, दिनांक 29.06.2015 द्वारा डा0 सी0एच0 पवन प्रताप सिंह की 02 वेतन वृद्धियॉ संचयी प्रभाव से रोकते हुए परिनिन्दित कर दिनांक 10.10.2008 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गई है।

5– महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के पत्र दिनांक 06.10.2015 के कम में डा0 सी0एच0 पवन प्रताप सिंह की प्रोन्नति के बिन्दु पर पुनर्विचार किये जाने हेतु दिनांक 18.01.2016 को विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की गई। चयन समिति के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 22.07.2014 को डा0 सी0एच0 पवन प्रताप सिंह के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित थी। कार्मिक अनुभाग–1 उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.05.1997 में की गई व्यवस्था "यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनिक न्यायधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, आरोप पत्र जारी किया जा चुका हो, के संबंध में चयन समिति की संस्तुति अलग से मुहरबन्द लिफाफे में रखा जायेगा।

–2/.....

6— अतः चयन समिति द्वारा डा0 सी0एच0 पवन प्रताप सिंह(वरिष्ठता कमांक—11997क) के पदोन्नति आदेश दिनांक 19.08.2014 को त्रुटिपूर्ण होने एवं पूर्व में चयन समिति द्वारा की गई संस्तुति बन्द लिफाफे में मानते हुए पदोन्नति से संबंधित आदेश दिनांक 19.08.2014 निरस्त करते हुए उन्हें चिकित्साधिकारी (लेवल—1) के पद पर तत्कालिक प्रभाव से प्रत्यावर्तित किये जाने की संस्तुति की गई।

7— चयन समिति द्वारा डा0 सी0एच0 पवन प्रताप सिंह के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही दिनांक 29.06.2015 को समाप्त होने के दृष्टिगत लेवल—1 से लेवल—2 वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के पद पर प्रोन्नति के संबंध में भी दिनांक 18.01.2016 को चयन समिति द्वारा विचार किया गया। विचारोपरान्त समिति द्वारा डा0 सी0एच0 पवन प्रताप सिंह को वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के पद पर पदोन्नति की संस्तुति नहीं की गई।

8— अतः डा0 सी0एच0 पवन प्रताप सिंह वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (वेतनमान रू0 15600—39100 ग्रेड—पे रू0 6600) के पदोन्नति आदेश संख्या—2330/पॉच—8—2014—जी(52)/2014, दिनांक 19.08.2014 के अंश (कमांक—401) को निरस्त करते हुए डा0 सी0एच0 पवन प्रताप सिंह को चिकित्साधिकारी (वेतनमान रू0 15600—39100 ग्रेड—पे रू0 5400) में तत्कालिक प्रभाव से प्रत्यावर्तित किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव।

संख्या—782(1)/पॉच—8—2016—तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ को रिट याचिका संख्या—889(एस0बी0)/2015 के संदर्भ में।
3. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश डा0 सी0एच0 पवन प्रताप सिंह को तामील कराकर तामीली की सूचना शासन को उपलब्ध करायें।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, इटावा।
8. डा0 सी0एच0 पवन प्रताप सिंह चिकित्साधिकारी(द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा) रजिस्टर्ड डाक से।
9. चिकित्सा अनुभाग—3
10. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

(जी0सी0 कठेरिया)
संयुक्त सचिव।